



# संपादकीय

## ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता से जगी उम्मीदें

# नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र का रास्ता खुला

भारत में परमाणु बिजली बनाने का काम अभी तक सरकारी कंपनी न्यूविलयर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। अब नाभिकीय बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी होगा, जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी भी हो सकती है। यह घोषणा नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत-अमेरिका संवाद फिर से कायम होने की ओर इशारा कर रही है।

संसद ने 'स्वस्त्रेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025' को पारित कर दिया। इसे अंग्रेजी नामाक्षरों के आधार पर 'शति-विधेयक' कहा गया है। हालांकि, कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी, पर सरकार ने इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजकर जल्दी पास कराना उचित समझा। अब यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों की राजनीतिक बहसों पर ध्यान नहीं दें, तो यह स्पष्ट है कि यह कानून यूपीए सरकार में अमेरिका के साथ हुई 'न्यूक्लियर-डील' का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अब अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते के साथ भी जुड़ा है।

यह कानून अनायास ही नहीं बनाया गया है। कई कारणों से 'न्यूक्लियर डील' अपने अभीमानित उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। एक बड़ा अड़ंगा, संभावित दुर्घटना की क्षतिपूर्ति को लेकर था, जिसके लिए 2010 में पास हुए नागरिक दायित्व अधिनियम से विदेशी आपूर्तिकर्ता सहमत नहीं थे। 2008 में, भाजपा ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसका एक कारण यह भी था कि 'न्यूक्लियर डील' में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिससे क्षतिपूर्ति हो सके।

इस साल का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने नाभिकीय ऊर्जा को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की थीं। उन्होंने स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के 'परमाणु ऊर्जा मिशन' की घोषणा की थी। 2033 तक इनमें से कम से कम पांच रिएक्टर चालू हो जाएंगे। भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है।

उसके पहले पिछले साल जुलाई में नई सरकार

भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक, 2025, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, पुराने 1962 के कानून और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 दोनों को निरस्त करके उनका स्थान लेगा। वर्ष 1962 का कानून परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग के आधार प्रदान करता है, और 2010 का परमाणु दुर्घटना के मामले में दायित्व और मुआवजा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नया कानून दो स्पष्ट जरूरतों से प्रेरित है। एक, कोयले पर आधारित ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, नाभिकीय-क्षमता वृद्धि के लिए पूँजी की आवश्यकता।

वर्ष 1962 के अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस केवल केंद्र सरकार की इकाई या सरकारी कंपनियों को ही दिया जा सकता है। वहीं नाभिकीय दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति के लिए 2010 के अधिनियम के तहत, परमाणु स्थापना का संचालक 'नो-फॉल्ट' सिद्धांत के अनुसार परमाणु घटना के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है। ऑपरेटरों को देनदारियों को कवर करने के लिए बीमा रखना होगा। ऑपरेटर की देयता की अधिकतम सीमा भी तय है, जिसके ऊपर की देयता केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2010 के अधिनियम में 10 मेगावाट या उससे अधिक की ताप विद्युत क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर के लिए अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये की देनदारी निर्दिष्ट की गई थी। अब नए कानून में क्षमता के आधार पर 100 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक की देयता सीमा तय की गई है। इस सीमा के ऊपर की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। लोकहित में जरूरी हुआ, तो वह किसी गैर-सरकारी संस्था का पूरा दायित्व भी अपने ऊपर ले सकती है।

मन ब सरकारी संस्थाओं, संयुक्त उपकरणों और अन्य किसी कंपनी को लाइसेंस के जरिए आधिकारी ऊर्जा गतिविधियों की अनुमति देने की इजाजत देकर, संसद ने संकेत दिया है कि वे रेल्यू निजी पूँजी इन्हें चलाए, न कि विदेशी विद्युत मालिक। 100 गीगावॉट का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर पूँजी नियुटानी होगी। निर्माण संबंधी जोखिम साझा कर सकने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को भी खोजना होगा। साथ ही नाभिकीय प्रसार के लिहाज से संवेदनशील कार्मों को राज्य के बाहर रखना होगा। इस कानून में सेफटी, क्रियान्वयन और विवाद-समाधान तथा गांदीदारी की शर्तों को एक साथ समेटने का यास किया गया है।

शिंचम एशिया के कुछ सरकारी कोषों और विदेशी निधियों ने आंशिक वित्तपोषण में रुचि देखाई है, जिसमें एसएमआर की तिनियां पूँछला में प्रवेश करना भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाए रखने के लिए एसएमआर बहतपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि नाभिकीय क्षेत्र में इक्विटी नवेश के नियम सरकार के विदेशी इक्विटी गांदीदारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

प्रमुख संशोधन खासतौर से महत्वपूर्ण हैं। एक का उद्देश्य एक विशिष्ट प्रावधान-नागरिक यात्रित्व कानून की धारा 17 (बी) को कमज़ोर करना है, जिसे दुनियाभर में लागू किए गए इसी धारह के परमाणु यात्रित्व कानूनों के विपरीत बनाया गया था। इसे विदेशी उपकरण विक्रेताओं द्वारा बताया है। इस धार पर किसी ने भी कानून लागू होने के बाद से भारत में किसी भी विदेशी जामा में निवेश नहीं किया है। यह भारतीय उप-विक्रेताओं के लिए भी चिंता का विषय था, जिसके 'आपूर्तिकर्ता' शब्द का दायरा बहुत व्यापक माना जाता है। अब इसे भी स्पष्ट किया याहू।

# प्रेरणा

## प्रतिष्ठानों की मशाल: जब पत्रकारिता ने सत्ता को नहीं, सत्य को छुना

पत्रकारिता कवल सूचना का माध्यम नहीं होती, वह समाज की अंतरात्मा होती है। जब यह अंतरात्मा सत्ता के दबाव में झुक जाती है, तो शब्द खोखले हो जाते हैं और जब वही पत्रकारिता सत्य, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, तब वह इतिहास रचती है। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जीवन इसी प्रतिबद्धता की ऐसी ही जीवंत मिसाल है, जिसमें सिद्धांत सुविधा पर और सत्य सत्ता पर भारी पड़ा। एक बार उनके पास एक राजसी संदेश आया। आदेश नहीं, बल्कि आग्रह के रूप में कहा गया कि अमुक-अमुक स्थानों पर लगाई गई प्याऊओं का विस्तृत विवरण 'मधुकर' पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। देखने में यह एक सामान्य सामाजिक कार्य का प्रचार लग सकता था, लेकिन चतुर्वेदी जी की दृष्टि उससे कहीं आगे तक जाती थी। वे समझ गए थे कि यह पत्रकारिता के माध्यम से दरबारी प्रशंसा का बीज बोने का प्रयास है। उन्होंने बिना किसी हिचक के साफ शब्दों में मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ओरछा नरेश को संदेश भिजवाकर यह भी कह दिया कि यदि पत्रिका को इसी दिशा में ले जाना है, तो वे उसका संपादन कार्य छोड़ देना ही उचित समझते हैं।

यह निणय आसान नहीं था। सन 1930 में ओरछा नरेश वीरसिंह जू देव के प्रस्ताव पर वे टीकमगढ़ गए थे और 'मधुकर' नामक पत्र का संपादन आरंभ किया था। नरेश ने उन्हें पूर्ण संपादकीय स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चला, लेकिन समय के साथ चतुर्वेदी जी ने महसूस किया कि राजा साहब 'मधुकर' को राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बनाने के बजाय एक सीमित दरबारी पत्र के रूप में देखना चाहते हैं। यह वही क्षण था, जहाँ पत्रकारिता की असली परीक्षा होती है। अधिकांश लोग समझते कि रास्ता चुनते हैं, लेकिन चतुर्वेदी जी ने त्याग का मार्ग अपनाया।

उन्होंने सत्ता की निकटता, सुविधा और प्रतिष्ठा को दुकराकर सिद्धांतों की रक्षा की। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समाज के लिए लिखना, देश के लिए सोचना और सत्य के लिए खड़ा होना। यही कारण था कि वे केवल एक संपादक नहीं, बल्कि विचारों के प्रहरी थे। उनके लेखों में स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना, सामाजिक सुधार की पीड़ा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की सुगंध स्पष्ट दिखाई देती थी।

पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी केवल

पत्रकार हो नहा थे, वे एक समाप्त साहित्यसेवी भी थे। उनका जीवन लेखन, संवाद और विचार-विनिमय से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन दर्जनों पत्र लिखा करते थे। यह पत्र केवल औपचारिक संवाद नहीं थे, बल्कि विचारों का प्रवाह थे। देश-विदेश की अनेक विभूतियों को लिखे गए उनके पत्र आज भी पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं और उस युग की बौद्धिक चेतना के साक्ष्य हैं। उनके पत्रों से पता चलता है कि वे कितनी गहराई से समाज, राजनीति, साहित्य और संस्कृति पर विचार करते थे।

स्वतंत्रता के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन सक्रिय रहा। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात वे बारह वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। संसद के उच्च सदन में रहते हुए भी उन्होंने कभी सत्ता की भाषा नहीं बोली, बल्कि विवेक और विवेचना की आवाज बने रहे। उनके विचारों में संतुलन था, भाषा में शालीनता थी और दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। यही कारण था कि वे सभी दलों और विचारधाराओं में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे।

उनका योगदान केवल लेखन या राजनीति तक सीमित नहीं रहा। 'विशाल भारत' नामक हिन्दी मासिक

के सपादक के रूप में उन्हाने हन्दा पत्रकारिता को वैचारिक गहराई दी। साक्षात्कार की विधा को पुष्टि और पल्लवित करने में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने साक्षात्कार को केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे विचारों के संवाद का माध्यम बनाया। उनके द्वारा लिए गए साक्षात्कार आज भी पठनीय और विचारोत्तेजक माने जाते हैं।

सन 1973 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल उनके साहित्यिक और पत्रकारिता योगदान का नहीं था, बल्कि उस नैतिक साहस का भी था, जिसने उन्हें सत्ता के सामने झुकने से रोका। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची पत्रकारिता वही है, जो प्रतिबद्ध हो—सत्य के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति।

आज जब पत्रकारिता पर प्रश्नचिह्न लगाए जाते हैं, तब पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि कलम की ताकत पद से नहीं, बल्कि चरित्र से आती है। उनकी प्रतिबद्धता आज भी एक मशाल की तरह जल रही है, जो यह रास्ता दिखाती है कि पत्रकारिता यदि अपने मूल्यों पर अड़िग रहे, तो वह केवल खबर नहीं बनाती, इतिहास भी रचती है।

## राहुल की सीमाएं, प्रियंका की संभावनाएं

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा में दो भाषणों की बड़ी चर्चा हुई। एक प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। दूसरा, कांग्रेस संसद प्रियंका गांधी वाड़ा का। प्रियंका ने मोदी और भाजपा को निशाने पर रखा, पर उसका असर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में भी दिखने लगा है।

सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् पर चर्चा की शुरूआत की। अपेक्षित तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से था, पर कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला प्रियंका ने। ऐसा क्यों हुआ, यह तो कांग्रेस ही बता सकती है, पर मोदी की भाषण कला की प्रशंसा करते हुए भी प्रियंका हास-परिहास के बीच ही तर्कों और तथ्यों के साथ सत्तापक्ष पर कटाक्षों से सदन को प्रभावित करने में सफल दिखी। राहुल गांधी भी बोले, मगर चुनाव सुधार पर चर्चा में। उन्होंने मुख्यतः वोट चोरी के आरोप दोहराए, जो वह पहले लगाते रहे हैं। उनके भाषण में न तो नए तथ्य-तर्क दिखे और न ही प्रियंका की तरह आक्रामक हुए बिना सत्तापक्ष को कठघरे में खड़ा करने की कला।

राहुल वोट चोरी के पुराने आरोप दोहरा भर रहे थे, जबकि प्रियंका वंदे मातरम् विवाद के पारी पादलों पर चुनाव में ज्यादा महिला उम्मीदवारों पर प्रियंका का दांव नहीं चला। इसके बावजूद पिछले साल रायबरेली से भी निर्वाचित राहुल द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रियंका को उम्मीदवार बनाने से उनकी भी जरूरत का संकेत गया। अर्थ निकाला गया कि प्रियंका अपेक्षाकृत अनुकूल दक्षिण भारत में कांग्रेस संभालेंगी, जबकि अध्यक्ष पद से पहले ही मुक्त हो चुके राहुल शोष देश में भाजपा से मोर्चा लेंगे, लेकिन वांछित परिणाम दिखे नहीं।

लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ भी कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं हैं। तीन लोकसभा और अनेक विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद संगठन कांग्रेस की प्राथमिकताओं में नजर नहीं आता। खरगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर अहम् फैसले राहुल ही ले रहे हैं। हरियाणा में पिछले नेता प्रतिपक्ष को ही पुनः चुनने में लगभग पूरा साल लग गया। दरअसल मां सोनिया की कांग्रेस को राहुल अपना नहीं पा रहे और अपनी पसंद की कांग्रेस बनाने का साहस जुटा नहीं पा रहे, जिसका परिणाम नेताओं के पलायन के रूप में भी गापाने आ रहा है।

# आभ्यान

## माँ के नामों में छिपी जीवन-शक्ति: जब दुर्गा के 108 नाम साधक का पथ बदल देते हैं

सनातन परम्परा में कहा गया है कि संसार की हर गति शक्ति से चलती है और उस शक्ति का सबसे करुण, सबसे रक्षक और सबसे जाग्रत स्वरूप माँ दुर्गा हैं। जब मनुष्य जीवन में बार-बार ठोकर खाता है, जब प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब भीतर भय, ग्लानि और असहायता घर करने लगती है, तब माँ दुर्गा का स्मरण केवल धार्मिक कर्म नहीं रह जाता, वह जीवन का सहारा बन जाता है। माँ के 108 नामों की साधना इसी सहारे को धीरे-धीरे अंतरिक बल में बदल देती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक साधारण गृहस्थ रहता था। जीवन में न कोई बड़ा पद था, न विशेष विद्या, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत थीं। व्यापार में हानि, घर में बीमारी और मन में निरंतर चिंता ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन मन शांत नहीं होता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे माँ दुर्गा के 108 नामों का स्मरण करने की सलाह दी। उसने कहा कि इन नामों को माँ से कुछ माँगने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को माँ के चरणों में रखने के लिए जपो। उस व्यक्ति ने बिना किसी विशेष विधि-विधान के, केवल श्रद्धा के साथ रोज सुबह-शाम माँ के नाम लेने शुरू किया।

स्थानक नहा बदला, केन उसका दृष्टिकोण बदलने गा। जहाँ पहले वह हर समस्या में जाता था, वहीं अब वह धैर्य से म लेने लगा। उसे यह अनुभव होने गा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे गाल रही है। धीरे-धीरे व्यापार में गार हुआ, घर का वातावरण शांत हो गया और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वका भय समाप्त होने लगा। उसने दृश्या कि माँ दुर्गा के नाम केवल दूरी संकटों को नहीं, बल्कि भीतर अंधकार को भी दूर करते हैं। दुर्गा अष्टोत्र शतनाम स्तोत्र का लिखे दुर्गा सप्तशती में मिलता है। स्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव ने ये माँ दुर्गा की स्तुति इन 108 नामों माध्यम से की थी। प्रत्येक नाम माँ किसी न किसी गुण को प्रकट करता कोई नाम माँ को रक्षक के रूप में दर्शाता है, कोई संहारक के रूप में, ई पालनकर्ता के रूप में और कोई न देने वाली शक्ति के रूप में। जब अधक इन नामों का जप करता है, तो जीवन के हर स्तर पर माँ की ऊर्जा आमंत्रित करता है।



बल्कि यह वि-  
बंधनों से मुक-  
साधना व्यक्ति-  
नहीं सिखाती  
की शक्ति देत-  
गृहस्थ हों या  
यह स्तोत्र से

मा का कृपा किसा काल-सामा मं  
बंधी नहीं होती। जो व्यक्ति निष्ठा  
से माँ के नामों का स्मरण करता है,  
उसके जीवन में अदृश्य परिवर्तन होने  
लगते हैं। कई बार साधक यह भी  
अनुभव करता है कि कुछ इच्छाएँ पूरी  
नहीं हुईं, लेकिन बाद में वही अधूरी  
इच्छाएँ उसके लिए वरदान सिद्ध होती  
हैं। तब उसे समझ में आता है कि माँ ने  
वही किया, जो उसके लिए श्रेष्ठ था।  
माँ दुर्गा के 108 नामों का जप व्यक्ति  
के भीतर विनम्रता लाता है। अहंकार  
धीरे-धीरे पिघलने लगता है और उसके  
स्थान पर विश्वास जन्म लेता है। यह  
विश्वास ही साधना का वास्तविक फल  
है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि  
वह अकेला नहीं है और एक दिव्य  
शक्ति हर कदम पर उसके साथ है,  
तब जीवन की कठिनाइयाँ भी बोझ  
नहीं लगतीं। अंततः माँ दुर्गा के 108  
नाम कोई साधारण स्तोत्र नहीं हैं। वे  
जीवन को समझने, स्वीकार करने और  
सँस्वारने का मार्ग हैं। जो व्यक्ति इन  
नामों के साथ जीवन को जोड़ लेता है,  
उसके लिए चमत्कार किसी एक दिन  
की घटना नहीं रहते, बल्कि हर दिन  
एक शांत, संतुलित और जाग्रत जीवन  
का अनुभव बन जाते हैं। यही माँ दुर्गा  
की कृपा का सबसे सुंदर रूप है, यही



## मुख्यमंत्री का नई दिल्ली में क्रेडाई के नेशनल कॉन्क्लेव में प्रेरक संबोधन

# प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत के विजन को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

## कन्स्ट्रक्शन में 'मेड इन इंडिया' का सुर और इमारतों में भारत की विरासत तथा संस्कार झलकाएँ: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

### - मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

► प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात वेल-प्लांड अर्बन डेवलपमेंट सहित विकास का रोल मॉडल बना है।

► गुजरात सिंगल विंडो विलयरेस सिस्टम, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स तथा समयबद्ध परियोग जैसी व्यवस्थाओं के कारण बड़े डेवलपर्स के लिए निवेश केन्द्र बना है।

(जीएनएस)। गांधीनगर: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुभकार को नई दिल्ली में आयोजित फेडेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के नेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21वीं शताब्दी के भारत की सबोधित रूपी आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने कहा कि वायपेंटीजी ने सुराजन और 21वीं शताब्दी के भारत की नीति रखी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस नीति को गतिविवेक आगे बढ़ाव देने के कारण साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित कराए रखना का जो विजय दिया है, उसे पूरा करने में रियल एस्टेट क्षेत्र का योगदान बड़ा रहेगा।



है कि गरीब से गरीब व्यवित को भी पक्का मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने देश की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में भारत में 'हाउसिंग इस संकल्प को पूरा रखने के लिए क्रेडाई ने उस नीति को गतिविवेक आगे बढ़ाव देने के कारण साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की अग्रिमीया से

केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया। रियल एस्टेट डेवलपर्स की विशेष भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट केवल जीवनी, इमारतों तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के अग्रिमीया से

या दीवारें नहीं हैं, बल्कि यह वह स्थल है, जहां परिवार के सपने समाप्त होते हैं, व्यापार-धंधे सकलता प्राप्त करते हैं और लोग साथ मिलकर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। उन्होंने डेवलपर्स से

गुजरात के विकास का उल्लेख करते हुए

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात वेल-प्लांड अर्बन डेवलपमेंट सहित विकास का रोल मॉडल बना है।

अपील करते हुए कहा कि हां ऐसे मकान बनाएं, जिसमें भारतीयता की महक हो। विदेशी टेक्नोलॉजी से लैंग ही प्रणाली तें, परतु दिल्लीनाथानी से लैंग ही प्रणाली तें, कन्स्ट्रक्शन में 'मेड इन इंडिया' का सुर हो और इमारतों में भारत की विरासत तथा संस्कार झलकते हों, ऐसे नियन्त्रण करें।

उन्होंने सर्वेविलिटी तथा इनोवेशन पर बल देते हुए कहा कि पर्यावणानुकूल धर, कायलवर्ष और सकारी इमारतें बनाना जरूरी है। इसके लिए नए अनुरोध दायर एवं नवीनता को प्रोत्साहन देना होगा। उन्होंने बढ़ावे शहरीकां के चलते संसाधनों का संचालन करने के लिए दूरदर्शी आयोजन की अवधिकारी संसदीकृत करावाइए।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत आत्मनिर्भर, इंज ऑफ इंडिया विजयने तथा इंज आय लिविंग का प्रतीक बनना चाहिए। इसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तथा सर्वेविलिटी का संगम भी होना चाहिए। उन्होंने रियल एस्टेट से जुड़े साथी से लैंग वाले लेवल, सर्वेविलिट

## महाजन में हरिमात शक्ति-2025 का सफल समापन, भारत-मलेशिया की सैन्य साझेदारी को मिली नई मजबूती



हेलिकॉप्टर से कार्रवाई, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक, हेलिपैड की सुरक्षा तथा धायलों की त्वरित निकासी जैसे अमर सैन्य अभ्यास के लिए। जवानों को शारीरिक क्षमता और सार्वजनिक मजबूती बढ़ावाने के लिए कॉमैंटर शूटिंग और योग सत्र भी आयोजित किए गए, जिससे सैनिकों में अनुशासन, फुर्ती और एकाग्रता को बढ़ावा मिला।

'हरिमात शक्ति-2025' का एक प्रमुख आकर्षण एमएआई-17 हेलिकॉप्टर के जरिए किए गए, जिससे सैनिकों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। 'हरिमात शक्ति-2025' का एक प्रमुख आकर्षण एमएआई-17 हेलिकॉप्टर के जरिए किए गए, जिससे सैनिकों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। जबकि शक्ति विभाग के लिए एक विशेष उपयोग की भी आवश्यकता नहीं रही, जिसका असर बहुत जल्दी और संकृत हो गया है। आपरेशन के दौरान रेड और सर्च ऑपरेशन, घाट लगाकर हमला, घाट लगाकर करते देखा जाता है। लेकिन इस बार माला बिल्कुल उलटा है। अमरेली के राजुला इलाके के कांगड़ा गांव में एक शेर को छोड़-छोड़े भिलों के साथ खेलता हुआ नज़र आया। इस अंदाजी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर पूरी शांति से गांव की गली में भौंड रहा है और परिसरों के साथ खेल रहा है। न तो शेर और आपाकम क्षेत्र में रियल एस्टेट क्षेत्र के साथ खेलता हुआ नज़र आया। इस अंदाजी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जिसे किसी चमत्कर से कम नहीं है, वकोंकि शेर को अमातौर पर हिंसक और शिकारी स्वभाव का माना जाता है। कुछ देर तक परिसर में घूमने वाले लोगों में दहशत जरूर फैल गई। यह पहली बार नहीं है जब अमरेली के बाद वह बिना की तेजी से देखा जाता है।

जिसे किसी चमत्कर से कम नहीं है, वकोंकि शेर को अमातौर पर हिंसक और शिकारी स्वभाव का माना जाता है। कुछ देर तक परिसर में घूमने वाले लोगों में दहशत जरूर फैल गई। यह पहली बार नहीं है जब अमरेली के बाद वह बिना की तेजी से देखा जाता है।



जिसे किसी चमत्कर से कम नहीं है, वकोंकि शेर को अमातौर पर हिंसक और शिकारी स्वभाव का माना जाता है। कुछ देर तक परिसर में घूमने वाले लोगों में दहशत जरूर फैल गई। यह पहली बार नहीं है जब अमरेली के बाद वह बिना की तेजी से देखा जाता है।

बाघ संग तस्वीर, शिव पूजा और महाआरती वनतारा के मुरीद हुए अनंत अंबानी के मेहमान लियोनेल मेसी



अब महाआरती में दिखा लिया, जिससे वे भारतीय आध्यात्मिक परिपराओं में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज़र आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्टर्न के दौरान लियोनेल मेसी के विषय में रंग नज